तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/6/23	आज पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प ग्रा.पं. [illegible] में पेश हुई। वकील इस्तगासा उपरोक्त तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/रा.अ./23/2509 दिनांक 8/6/23 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील इस्तगासा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही वाद वादी डिक्री फरमाने एवं खाता विभाजन किए जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 23/01/2023 को वाद प्रारम्भिक डिक्री कर विवादित भूमि चक 33 ML मु.नं. 41 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा प्रतिवादीगण से खाता विभाजन कर खाता विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया गया था। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब बाद एवं एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में हो चुकी है। वादी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताई गयी है। इस प्रकरण के सम्बन्धित वाद 48/2017 सनाराम पुत्र [illegible] आदि में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गये हैं अतः वाद साक्ष्य अभाव में खारिज योग्य है। वादी द्वारा इस वाद में प्राप्त खाता विभाजन [illegible] पर कोई आपत्ति नहीं जताई है एवं प्रस्ताव अनुसार ही वाद पर डिक्री खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही [illegible] है। ऐसी स्थिति में [illegible] के लिए निवेदन किया है। [illegible] वाद वादी स्वीकार कर खाता [illegible] में पारित किया जाता। [illegible] प्रतिवादीगण की [illegible] खातेदारी भूमि खाता विभाजन के पश्चात वादी को खातेदारी भूमि पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित है।	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर इस वाद के साथ संबंधित वाद सं. 48/17 सन्तराम बनाम रतिराम आदि को समान प्रभाव से खारिज किया जाता है तथा यह वाद सं. 239/2013 इन्द्रजीत बनाम नापली आदि प्राथमिक डिक्री दिनांक 23/01/2023 स्वीकार कर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि-
	" तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/अ.आं./23/2509 दिनांक 08/06/2023 के आधार पर विवादित भूमि चक 33 MC के मु.नं. 41 प.नं. 134/304 कि.नं./से 25 कुल 6.3260 बारानी भूमि का खाता विभाजन कर वादी को निम्नलिखित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है-
	1- इन्द्रजीत पुत्र हजारीराम (वादी):- चक 33 MC प.नं. 134/304 मु.नं. 41 कि.नं. 8/0.228, 9/0.253, 12/0.253, 13/0.228, 19/0.025, 22/0.025 कुल 1.0120 बारानी
	तहसीलदार रायसिंहनगर उपरोक्तानुसार वादी के नाम की खातेदारी भूमि का पृथक खाता में अमल दरामद करें। भूमि की किस्म/प्रकृति (नहरी/बारानी/गैर.मु.) परिवर्तित नहीं की जावे।
	प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती [illegible] वादी की उक्त खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी करने से वंचित [illegible] पक्षों [illegible]
	निर्णय मेरे द्वारा [illegible] /06/2023 को लिखाया जाकर इजलास-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प-ग्रा.पं.: झोटावाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested